न्यायालय बईजलास ज्ञानमल खटीक आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी)
बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :: 49/2012

1. रुगनाथ पिता देबी जी गुजर आयु 64 साल निवासी सामरिया खुर्द तहसील बेगूँ
2. भगवतीलाल पिता देबी जी गुजर आयु 62 साल निवासी सामरिया खुर्द तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान ... वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये कलक्टर साहब जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान
2. श्रीमान् भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान ... प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री आई.एम. अजमेरी
अधिवक्ता वादी।

निर्णय दिनांक : 3.1.2017

निर्णय दावा अ0धा0 88 राज0काश्त0 अधि0

वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सादलपुर प0ह0 सामरिया कलां तहसील बेगूँ में वादीगण के नाम धारा 91 रा.ले.रे. एक्ट की कार्यवाही में मिसल नं0 1062/68 से आराजी संख्या 40 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा भूमि खातेदारी हक से रेगुलाइज हो लगान व पट्टा फीस जमा कराने पर वादीगण के नाम क्रम संख्या 146 तहसील बेगूँ द्वारा दिनांक 17.05.1971 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने जमाबंदी इंतकाल तस्दीक किया गया जि.में बटे नम्बर डालने का भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का नोट दर्ज है।

धारा 91 रा.ले.रे. एक्ट की कार्यवाही के पश्चात बेगूँ तहसील में भू प्रबंध (सेटलमेंट) आरंभ हो गया। जमाबंदी ग्राम सादुलपुर संवत 2024–2027 में इंतकाल संख्या 146 से आराजी संख्या 40 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादीगण के खातेदारी में अंकित हो गयी एवं सेटलमेंट पूर्ण होने पर नये रेवेन्यू रेकार्ड निर्मित हुए एवं वादीगण के नाम भूमि बिलानाम अंकित की गयी एवं भूमि के नये नम्बर 40 के बजाय 11 दर्ज हुए। वादीगण ने भूमि पर काबिज हो काबिल काश्त करने, कुंआ भी बन जाने की सूरत में तहसील बेगूँ में प्रतिवादी संख्या 2 के पास कार्यवाही खातेदारी बाबत करवाई, जिस पर इंतकाल संख्या 37 निर्णित दिनांक 24.06.1979 में 22 बीघा 4 बिस्वा के बजाय आराजी संख्या 11 रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा वादीगण के नाम अंकित करने का आदेश हुआ किंतु "खातेदारी हक" पूर्व सेटलमेंट होते हुए "गैर खातेदारी" किसी भूलवश इंतकाल फैसल हो गया वादीगण अनपढ़ होने से कोई ध्यान नहीं दे सकें।

सन् 2008 में डेवलपमेंट कृषि भूमि हेतु शासकीय ऋण प्राप्ति हेतु कार्यवाही के लिए नकलें आदि ली गई तो ज्ञान हुआ कि खातेदारी के बजाय गैर खातेदारी हक जमाबंदी में अंकित हैं। जबकि वादीगण सन् 1971 से ही खातेदारी हक से काश्त कर रहे हैं एवं लगान अदा कर रहे हैं। वादीगण खातेदार होते हुए गैर खातेदार रेवेन्यू रेकार्ड में अंकित रहने से शासकीय ऋण एवं अन्य लाभ प्राप्त नहीं कर सक रहे हैं। वादीगण पुनः इंतकाल संख्या 146 निर्णित दिनांक 17.05.1971 के अनुसार खातेदारी हक रेवेन्यू रेकार्ड में अंकित करवाने के अधिकारी हैं।

वादीगण ने गत वर्ष सितंबर, अक्टूबर, 2008 में "प्रशासन गांवों के संग" अभियान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये किंतु अभियान में भी वादीगण को खातेदारी हक प्रदान नहीं किये गये दिनांक 10.09.2008 से हम प्रयासरत हैं। वादीगण खातेदारी हक प्राप्ति के कानूनन अधिकारी हैं। स्वतः ही प्रतिवादी संख्या दो को खातेदारी हक दर्ज करना था जो नहीं किया।

बिनाय दावा दिनांक 10.09.2008 को प्रशासन गाँव के संग शिविर सामरिया में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से हमारे नाम खातेदारी हक रेकार्ड में नहीं दर्ज किये जाने से वाद हाजा प्रस्तुत करने की नौबत आई है। जमाबंदी संवत 2065–2068 में खेवट खतौनी संख्या 147 पर वादीगण का नाम रघुनाथ, भगवतिलाल पिता देवा गुजर निवासी सामरिया खुर्द गैरखातेदार नामा0 सं0 247 दर्ज है इस इंतकाल संख्या 247 में वादी संख्या 2 का

नाम आदरसूचक "भागुता" से भगवतिलाल जो वास्तविक नाम है दर्ज किया गया पूर्व रेकार्ड में रघुनाथ के साथ "भागुता" ही दर्ज है। वाद भूमि संख्या 287/11 रकबा 4.833 है0 है। बिनाय दावा दिनांक 10.09. 2008 से आरंभ होकर आज तक निरंतर जारी है।

वादीगण द्वारा निम्न अनुतोष की प्रार्थना की गई है :–

ग्राम सादलपुर प0ह0 सामरिया की जमाबंदी सं0 2065 से 2068 के खाते संख्या 147 पर अंकित आ0सं0 287/11 रकबा 4.330 है0 गैर खातेदारी दर्ज है उसे "खातेदारी हक" की घोषणा फरमा कागजात रेवेन्यू रेकार्ड में अंकित करने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 के नाम जारी फरमायी जावे। वाद व्यय एवं वकील मेहनताना आदि भी प्रतिवादी संख्या 2 से वादीगण को दिलवाया जावे। अन्य कोई दाद मुफीद बहक वादीगण सादिर हो प्रदान करायी जावे।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा बिंदुवार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

यह सही है कि वादीगण के नाम नामांतरकरण संख्या 146 द्वारा भूमि दर्ज हुई, परन्तु नामांतरकरण में कालम संख्या 11 में वादीगण के नाम के नीचे "खातेदार" नामा0 भरने बाद पृथक से लिखा गया प्रतीत होता है।

यह सही है कि ग्राम सादुलपुर की जमाबंदी संवत् 2024–2027 में नामांतरकरण संख्या 146 से वादीगण के नाम अमल हुआ परन्तु यहाँ भी "खातेदारी" शब्द बाद में लिखा जाना प्रतीत होता है। भू प्रबंध में भूमि बिलानाम होने से नामांतरण संख्या 37 द्वारा वादीगण के नाम नामांतरण गैरखातेदारी से दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन यह है कि यदि नामांतरकरण गलत भरा था स्वीकृत हुआ तो वादीगण को नामांतरण की अपील समयावधि में करनी चाहिये थी जो कि नहीं की गई। साथ ही निवेदन किया गया कि वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश हुए है तो आदेश की प्रति क्यों नहीं प्रस्तुत की गई अतः गैर खातेदारी का नामांतरकरण दायर करने में भूल नहीं हुई है। शेष बिंदु अस्वीकार किये गये।

जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने केबाद पत्रावली में निम्न तनकी पत्र कायम किये गया::–

1– आया कि ग्राम सादुलपुर प0ह0 सामरिया की जमाबंदी सं0 2065 से 2068 के खाते संख्या 147 पर अंकित आ0सं0 287/11 रकबा 4.330 हैक्टर गैरखातेदारी दर्जउसे खातेदारी हक की घोषणा करा पाने के व रिकोर्ड में अंकित प्रतिवादी सं0 2 के नाम जारी कराने केक वादी अधिकारी है ?
वादी

2– आया कि वादीगण के नाम नामान्तरण संख्या 146 द्वारा भूमि दर्ज हुई परन्तु नामान्तरण की कॉलम नं0 11 मेंवादीगण के नाम के नीचे खातेदार नामा. भरनेवाद पृथक से लिखा गया है , नामान्तरण संख्या 146 से वादीगण के नाम अमल हुआ परन्तु यहाँ भी खातेदार शब्द बाद में लिखा जाना प्रतीत होता है ,भू–प्रबन्ध में भूमि बिलानाम होने से नामान्तरण सं0 37 द्वारा वादीगण के नाम नामान्तरण गैरखातेदारी से दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है , यदि नामान्तरण गलत भरा या स्वीकृत हुआ तो वादीगण को नामान्तरकरण की अपील समयावधि में करनी चाहिए थी जो नहीं की गई इतने लम्बे मय तक वादीगण को गैरखातेदारी की जानकारी नहीं है यह नहीं माना जा सकता है वादीगण का वाद काबिल खारिज है ?
प्रतिवादी/पैरोकारसरकार

3– दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादीगण की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी भगतवतीलाल व रूघनाथ पिता देवी का प्रस्तुत किया गया , तथा वादी भगवतीाल ने दिनांक 3.8.2010 को अपने बयान कलमबद्ध कराये तथा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया । प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

इस दावा पत्रावली के पूर्व दावा संख्या 106/2009 थे ,उक्त वादपत्र में न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर दिनांक 19.1.2011 को वादी कावाद पत्र सिद्ध नहीं होने से दावा खारिज किया गया था, उक्त निर्णय दिनांक 19.1.2011 के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के न्यायालय में किए जाने पर उनके निर्णय दिनांक 4.1.2012 से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.1.2011 को अपास्त किये जाने एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया

गया कि मौके एवं राजस्व रेकार्ड की स्वयं तथा भूमिधारी तहसीलदार बेगूँसे जॉच कराकर गैरखातेदार अपीलान्टस को खातेदारी हक दी जाने के प्रकरण का दो माह की अवधि में निस्तारण करें । तद्पोरान्त प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के निर्णय की पालना में वाद वर्णित आराजीयात की जॉच करा रिपोर्ट तलब की गई । रिपोर्ट में अंकित किया गया कि ग्राम सादुलपुर की आराजी संख्या 487/11 रकबा 4.8330 हैक्टर भूमि की मौका निरीक्षण से पाया कि आराजी संख्या 487/11 रकबा 4.8330 हैक्टर पर वादीगण आवंटन केसमय से ही पत्थरकोट बनाकर कृषि कार्य करते आये है । मौकेपर भूमि काबिल काश्त है । भूमि पर वृक्ष झाडियॉ साफ की हुई है । मौके पर कोई विवाद नहीं है ।

पत्रावली में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया , अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र एवं दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया गया जबकि प्रतिवादी पैरोकार तहसीलदार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गैरखातेदारी भूमि को खातेदारी में लिये जाने के प्रावधान बने हुए है उसके लिए वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है , दावा खारिज फरमाया जावें ।

दावा पत्रावली में उभयपक्ष की बहस को सुना जाने के पश्चात प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया ,पत्रावली में कायम तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– तनकी नं0 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है जिन्होने दावा पत्रावली में नकल नामा0सं0 146 प्रदर्श– 1 प्रस्तुत की है उक्त नकल नामान्तकरण में बिलानाम आराजी मौजा सादुरपुर की आराजी संख्या 40मीन रकबा 33बीघा 9बिस्वा भूमि मेसे रूगनाथ भागतूलाल पिता देवी गुजर्र नि0 सामरियाखुर्द के नाम पर 22बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज किये जाने का अंकन है । दर्ज अंकन के नीचे खातेदार का अंकन है । नकल जमाबंदी सं0 2024 से 28 तक में भी वादीगण के नाम वाद वर्णित आराजी नियमन होने का नोट होकर खातेदारी शब्द लिखा गया है ,दोनो दस्तावेज में खातेदारी शब्द का अंकन सिद्ध होता है । प्रदर्श– 3 मिलानखसरा सैटलमेन्ट का अवलोकन किया जाने पर पाया कि गत आराजी संख्या 40मी. एवं 38/1 के नवीन आराजी नम्बर 9 बने हैं, जो कि वारागाह दर्ज है,जबकि गत आराजी संख्या 40/2मी. एवं गत आराजी संख्या 38/1जिसके नवीन आराजी संख्या 11 बने है उसका रकबा 136बीघा 5 बिस्वा भूमि है जिसमें से वादी को 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम पर कनवर्सन सूची सं. 9 के आधार पर नामान्तरित करते हुए वादीगण के नाम गैरखातेदार से नामान्तरकरण संख्या 37 खोला गया है, जब प्रदर्श– 1 के अनुसार वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि का खातेदार अंकित करते हुए नामान्तरकरण खोला गया तो उन्हें गैरखातेदार दर्ज किस आधार पर किया गया । वादीगण का कब्जा काश्त भी रिपोर्ट पटवारी हल्का सामरियाकलॉ व मौका पर्चा अनुसार होना सिद्ध होता है । वैसे भी काफी लम्बे से भूमि पर कब्जा होने से वादीगण भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है । इस प्रकार तनकी नं0 1 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

2– तनकी नं0 2 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है जिन्होने पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है । वादीगण द्वारा उनके जिम्मे तनकी नं0 1 को उनके दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करा पाने में वादीगण सफल रहे है। साथ ही पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के निर्णय की पालना में तलब की गई मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर भी वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पर होना सिद्ध हुआ है ।इस प्रकार यह तनकी नं0 2 बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

इस प्रकार पत्रावली में कायम तनकी दस्तावेजी साक्ष्य सबूत एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर वादीगण के पक्ष निर्णित होने से वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः वादीगण का वाद पत्र अ0धा0 88 आर0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा सादलपुर प0ह0 सामरियॉकलॉ की आराजी संख्या 287/11 रकबा 4.8330 हैक्टर भूमि को वादीगण श्री रूगनाथ ,भगवतीलाल पिता देबी गुर्जर सा0सामरियाकलॉ के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

3/1/17

(ज्ञानमल खटीक)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी),बेगूँ